F.No. NCBC/06/10/118/2019-CP

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसंधान अनुभाग

सुनवाई के कार्यवृत

डॉ. सूरज यादव द्वारा प्राप्त शिकायत में प्रिंसिपल, स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर पद कि स्थायी नियुक्ति के संबंध में दिनाँक 08.10.2020 को 1:30 बजे प्रो. एस. के. अवस्थी एवं प्रिंसिपल, स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय को आयोग के समक्ष उपस्थित होकर प्रतिउत्तर देना सुनिश्चित किया गया था परंतु उपर्युक्त अधिकारियों के उपस्थित न होने कि स्थिति में डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष एवं श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अंतिम अवसर देते हुए दिनाँक 27.10.2020 को 11:00 बजे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष कोर्ट रूम, ग्राउंड फ्लोर, त्रिकूट -1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066 में सुनवाई नियत की गयी।

बैठक मे उपस्थित अधिकारी

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग :-

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य
2. डॉ. राजुल रायकवार, अनुसंधान अधिकारी
3. कु. पारुल भारद्वाज, अनुसंधान अन्वेषक
4. श्री दिनेश कुमार, निजी सचिव माननीय अध्यक्ष

आयोग के समक्ष उपस्थिति हेतु अपेक्षित अधिकारीगण :-

1. प्रो. एस. के. अवस्थी, चेयरमैन गवर्निंग बॉडी, स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय
2. प्रो. प्रवीन गर्ग, प्रिंसिपल, स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय

उपस्थित अधिकारीगण:-

1. प्रो. प्रवीन गर्ग, प्रिंसिपल, स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय
2. डॉ. डी. वी. भारद्वाज, अकाउंट ऑफिसर, स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय

14/12/20

सुनवाई के दौरान हुई चर्चा का विस्तृत विवरण:-

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: पिछली सुनवाई में क्या निर्णय हुआ था?

श्री दिनेश कुमार (निजी सचिव माननीय अध्यक्ष): पिछली सुनवाई में यह निर्णय हुआ था कि 45 दिन के भीतर नया रोस्टर बनाकर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

डॉ. डी. वी. भारद्वाज: रोस्टर बनाकर दिल्ली विश्वविद्यालय को अनुमोदन हेतु भेजा जा चुका है परंतु अब तक अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है इसीलिए अनुस्मारक भेजा जा रहा है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: आपने रोस्टर किस प्रकार से बनाकर भेजा है उसकी प्रति दिखाइए।

डॉ. डी. वी. भारद्वाज: जी।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: क्या आपके लाईसन अधिकारी श्री भूपेंद्र गिरि ही हैं?

डॉ. डी. वी. भारद्वाज: जी नहीं, लाईसन अधिकारी बदल गये है वर्तमान में लाईसन अधिकारी अंजली यादव हैं।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: आपके महाविद्यालय में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण किस वर्ष से लागू हुआ था ?

डॉ. डी. वी. भारद्वाज: 2 जुलाई, 1997 से लागू हुआ था।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: आप शपथ पत्र पर लिखकर दीजिये कि स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण किस तिथि से लागू किया गया था।

डॉ. डी. वी. भारद्वाज: जब प्रथम नियुक्ति हुई थी वह तिथि लिखना है अथवा जब से लागू किया गया था वह तिथि लिखना है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: आप दोनों तिथियाँ लिख कर दीजिये एवं दोनों लोग हस्ताक्षर भी करिए।

कौशलेन्द्र पटेल

प्रो. प्रवीन गर्ग: जी।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: जब से अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण लागू किया गया है तब से कितनी बार रोस्टर का निर्माण किया गया है एवं कितनी बार रोस्टर में परिवर्तन किया गया है?

प्रो. प्रवीन गर्ग: रोस्टर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है केवल थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है।

डॉ. डी. वी. भारद्वाज: 12 सितम्बर, 2013 के पूर्व 13 पॉइंट रोस्टर था जिसमे विभाग को यूनिट माना जाता था 13 सितम्बर, 2013 में रेगुलेशन 64 के तहत कॉलेज को यूनिट माना जाता है एवं 200 पॉइंट रोस्टर के अनुसार कॉलेज को यूनिट माना जाता है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: एक बार 2013 में परिवर्तित हुआ था इसके बाद फिर कब हुआ था।

प्रो. प्रवीन गर्ग: इसके बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ है केवल EWS कोटा जोड़ा था। इसीलिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ था।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु कुल कितने पद स्वीकृत हैं?

डॉ. डी. वी. भारद्वाज: कुल 39 पद अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु स्वीकृत हैं

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: कुल कितने पद हैं?

डॉ. डी. वी. भारद्वाज: कुल 212 पद है जिसमे से 170 पद पहले से है जिनका रोस्टर भी अनुमोदित है एवं 39 पद यू. जी. सी. से अनुमोदित होकर प्राप्त हुए है जिसका रोस्टर अनुमोदन हेतु दिल्ली विश्वविद्यालय को भेजा गया है परंतु अभी तक अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: उन 39 में से अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने अभ्यर्थियों कि नियुक्ति हुई है?

प्रो. प्रवीन गर्ग: उन 39 में से केवल 09 पदों पर ही नियुक्ति हुई है जिसमे से 03 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों कि नियुक्ति हुई है। वर्ष 2014 के बाद कोई नियुक्ति हुई ही नहीं है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: 1997 में जब विभाग को यूनिट माना जाता था उस वर्ष के रोस्टर की प्रतिलिपि आयोग को उपलब्ध करायें।

डॉ. डी. वी. भारद्वाज: जी।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: आप 6 नवम्बर तक सभी रोस्टर की सत्यापित प्रतिलिपि आयोग के समक्ष प्रस्तुत कीजिये।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: चेयरमैन ने जो हाई पॉवर समिति (High Power Committee) बनायीं थी उसकी रिपोर्ट आ गयी है?

डॉ. डी. वी. भारद्वाज: जी।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: इस समिति में कितने लोग थे ?

डॉ. डी. वी. भारद्वाज: सभी केटेगरी के लाईसन अधिकारी थे।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: जो श्री प्रदीप कुमार ने लिख कर दिया है उसको भी शपथ पत्र पर 29 अक्टूबर तक आयोग के समक्ष प्रस्तुत कीजिये ।

जब से अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण लागू हुआ है सरकार द्वारा आपको क्या क्या सुविधाये, मद इत्यादि संसाधन दिये गये है ?

डॉ. डी. वी. भारद्वाज: अस्थायी रूप से 39 पद प्रदत्त किये गये है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: इसके अतिरिक्त भवन निर्माण हेतु ग्रांट तथा अन्य किस किस प्रकार कि सुविधाये प्रदान की गई?

डॉ. डी. वी. भारद्वाज: अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 7.5 करोड़ का ग्रांट दिया गया है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: आरक्षण लागू होने के बाद सरकार द्वारा क्या क्या संसाधन दिए गये इसकी जानकारी भी प्रस्तुत कीजिये।

निष्कर्ष:-

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य ने स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय के अधिकारियो से समस्त पक्षों पर चर्चा करने के पश्चात् निम्नलिखित जानकारी आयोग के समक्ष अतिशीघ्र उपलब्ध करवाने हेतु निर्देश दिया।

1. आरक्षण लागू होने के बाद सरकार द्वारा क्या क्या संसाधन दिए गये इसकी जानकारी आयोग के समक्ष 6 नवम्बर, 2020 तक उपलब्ध करायी जाये।
2. 6 नवम्बर, 2020 तक सभी नए एवं पुराने रोस्टर की सत्यापित प्रतिलिपि आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाये।
3. श्री प्रदीप कुमार द्वारा लिखित जानकारी 29 अक्टूबर, 2020 तक शपथ पत्र पर आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाये।

स्थान: नई दिल्ली

दिनाँक:

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
14/12/20